

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार आपूर्ति सेवा के निम्नांकित पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित प्रखंड/स्थान/जिला में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है। एतद् संबंधी पूर्व में विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश, यदि कोई हो, तो उसे विलोपित समझा जाय।

क्र०	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन प्रखंड/स्थान	पदस्थापित प्रखंड/स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री नन्दलाल	यू०पी०	दरौदा, सिवान	गोपालगंज सदर
2	श्री विश्व विजय नारायण सिंह	पटना	रक्सौल, (पूर्वी चम्पारण)	गिरीयक, नालन्दा
3	श्री चन्द्रमणि प्रसाद	पटना	अरेराज, (पूर्वी चम्पारण)	हरनौत, नालन्दा
4	श्री शिवकुमार प्रसाद	पटना	चकिया, (पूर्वी चम्पारण)	पटना अनुभाजन
5	श्री योगेन्द्र ओझा	भोजपुर	बसंतपुर, सिवान	औराई, मुजफ्फरपुर
6	श्री सुमन कुमार सिन्हा	पटना	बक्सर	पटना अनुभाजन
7	श्री राम निवास सिंह	नालन्दा	मशरक, सारण	पटना अनुभाजन
8	श्री जयप्रकाश नारायण	प० चम्पारण	चिरैया, मोतिहारी	मीनापुर, मुजफ्फरपुर
9	श्री रामश्रृंगार प्रसाद यादव	पटना	वैसा, पूर्णियाँ	फतुहॉ, पटना
10	श्री ब्रजकिशोर सदा	खगड़िया	पोटिया, किशनगंज	शंकरपुर, मधेपुरा
11	श्रीमती रंजीता वर्मा	गया	मंझौलिया, प० चम्पारण	मोरवा, समस्तीपुर
12	श्री विनय कुमार	पटना	संझौली, रोहतास	जनदाहा, वैशाली
13	श्री शशिकान्त राम	गोड़डा	काराकाट, रोहतास	फूलडुमर, बाँका
14	श्री राजेन्द्र कुमार	पटना	पतरघट, सहरसा	गया, सदर
15	श्री सुशील कुमार वर्मा	पूर्वी चम्पारण	बहादुरगंज, किशनगंज	सोनपुर, सारण
16	श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी	सारण	नैतन, प० चम्पारण, बेतिया	दरौली, सिवान
17	श्री इमदादुल हक	सिवान	बाबुबरही, मधुबनी	अमनौर, सारण

(Handwritten Signature)

18	श्री श्याम किशोर	नवादा	सचिवालय (मुख्यालय)	पटना अनुभाजन
19	श्री प्रवीण चन्द्र	पटना	मधेपुर, मधुबनी	रानीगंज, अररिया

2. उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों का स्थानांतरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः नये पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विद्युभूषण चौधरी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- प्र03-स्था0-03-02/2015

5019

खाद्य, पटना/दिनांक-30/06/15

प्रतिलिपि- सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्थानांतरित पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के अन्दर स्थानांतरित प्रखंड/स्थान में योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर दें। यदि किसी को निर्वाचन संबंधी कार्य में लगाया गया है तो निर्वाचन कार्य की समाप्ति के बाद तत्काल विरमित कर दें।

3. जुलाई, 2015 का वेतन सभी पदाधिकारी नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे।

सरकार के उप सचिव।